

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4749
21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

किफायती आवास इकाइयाँ

4749. श्री तनुज पुनिया:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जून, 2025 की स्थिति के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास इकाइयों की शहर-वार और राज्य-वार मौजूदा कमी कितनी है;
- (ख) जून, 2025 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;
- (ग) उक्त योजना के अंतर्गत समीक्षाधीन और लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;
- (घ) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत उन आवास इकाइयों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकृत किया गया और अंतिम रूप दिया गया;
- (ङ) सरकार द्वारा उक्त आवास इकाइयों की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
- (च) क्या उक्त उद्देश्य के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडलों पर विचार किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास की आवश्यकता का आकलन और आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री

आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि दिनांक 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएँ हैं। इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और क्रियान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। मांग आकलन और सत्यापन के बाद राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद, इन्हें केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की स्वीकृति के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में माँग सर्वेक्षण करना और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन करना एक सतत प्रक्रिया है। पात्र नागरिक पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं और अपनी माँग दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए इस योजना के दिशानिर्देश और एकीकृत वेब पोर्टल <https://pmay-urban.gov.in> के माध्यम से देखे जा सकते हैं।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 7.15 लाख आवासों सहित कुल 119.31 लाख आवासों को पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृति दी गई है। इनमें से 112.98 लाख आवासों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और दिनांक 04.08.2025 तक देश भर में 93.81 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। कुल स्वीकृत आवासों में से, वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल 3.53 लाख आवास स्वीकृत किए गए। अब, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, केवल पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत ही आवासों को स्वीकृति दी जा रही है।

(च): पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, एचपी परियोजनाओं का निर्माण निजी डेवलपर्स द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर अपनी स्वयं की उपलब्ध बाधा मुक्त भूमि पर विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी या मिश्रित आवास परियोजना के लिए किया जा सकता है, यदि परियोजना में कम से कम 25% आवास

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के एआरएच घटक के अंतर्गत, सरकार द्वारा वित्त पोषित मौजूदा खाली आवासों को पीपीपी मोड के तहत एआरएच में बदला जा सकता है। इसके अलावा, सार्वजनिक/निजी संस्थाएँ शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, उद्योगों, औद्योगिक संपदाओं, संस्थानों के कर्मचारियों और अन्य पात्र ईडब्ल्यूएस/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) परिवारों के लिए साझेदारी में किराये के आवासों का निर्माण, संचालन और रखरखाव कर सकती हैं।
